

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 167]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 अप्रैल 2016—चैत्र 16, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2016

क्र. 5531-110-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 5 अप्रैल 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १२ सन् २०१६

मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, २०१६

[दिनांक ५ अप्रैल, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ५ अप्रैल, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई]।

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

**संक्षिप्त नाम तथा
प्रारंभ.**

धारा ९ का संशोधन.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है।

(२) यह १ अप्रैल, २०१६ से प्रवृत्त होगा।

२. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ९ में, उपधारा (६) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(६) उपकर के आगम, ग्रामीण विकास विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की अधोसंरचना के अनुरक्षण के लिए उपयोजित किए जाएंगे।"

३. मूल अधिनियम की अनुसूची में, अनुक्रमांक १ के सामने, कॉलम (४) में, अंक "२.५" के स्थान पर अंक "१०" स्थापित किया जाए।

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2016

क्र. 5531-110-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 12 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव।

**MADHYA PRADESH ACT
No. 12 OF 2016**

THE MADHYA PRADESH UPKAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

[Received the assent of the Governor on the 5th April, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 5th April, 2016].

An Act Further to amend the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Upkar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.
(2) It shall come into force from 1st April, 2016.

Amendment of Section 9.

2. In Section 9 of the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982), (hereinafter referred to as the principal Act), for sub-section (6), the following sub-section shall be substituted namely :—

"(6) The proceeds of the cess shall be used for rural development specially for maintenance of infrastructure of schools in rural areas."

Amendment of Schedule.

3. In Schedule to the principal Act, against serial number 1, in column (4), for the figure "2.5", the figure "10" shall be substituted.